हिमाचल प्रदेश विभागीय कानूनगो परीक्षा, जनवरी, 2019

पेपर संख्या: 1 हिमाचल प्रदेश भू–अभिलेख नियमावली (संशोधित)

समय : 3 घंटे

कुल अंक– 100

नोटः कुल पांच प्रश्न करें। समस्त प्रश्नों के समान अंक है। प्रश्न 1 अनिवार्य है।

प्रश्न : 1. अन्तर स्पष्ट करें:.

(i) असैसमैन्ट रिपोर्ट व सैटलमैंन्ट रिपोर्ट (ii) मौरूसी व गैर मोरूसी मुज़ारा

(iii) कब्जा काश्त व फर्द कब्जा (iv) लाल लकीर व लाल किताब।

प्रश्नः 2. एक सम्पदा की सम्पूर्ण पैमाईश व भू–अभिलेख तैयार करने की पूर्ण प्रक्रिया का वर्णन तैयारी खतौनी व शज़रा नस्ब से लेकर अन्तिम कार्य तक करें। इस प्रक्रिया में तैयार होने वाले विभिन्न अभिलेखों का संक्षिप्त वर्णन करें।

प्रश्नः 3. इन्तकाल सम्बन्धी आदश्यक निर्देशों का उल्लेख करें! पटवारी, गानूनगों व सहायक समाहर्ता को इस सम्बन्ध में किन– किन–2 बातों का ध्यान रखना चाहिए?

प्रश्नः 4. निशानदेही प्रक्रिया में आधुनिक उपकरणों की सहायता से न केवल विवादों में कमी आएगी, अपितु भू–स्वामियों के परस्पर झगड़े भी कम होने की सम्भावना है। पक्ष/प्रतिपक्ष में विचार रखें।

प्रश्नः 5 सरकारी भूमि/सम्पत्तियों पर अवैध कब्ज़ों से निष्कासन हेतु विभिन्न कानूनी प्रावधानों का वर्णन करें। इनमें अधिक प्रभावी प्रावधान कौन से हैं और कैसे हैं?

प्रश्नः 6 फील्ड कानूनगो की तक्सीम में क्या भूमिका है। तरीका तक्सीम व फर्द कब्ज़ा बारे विस्तार पूर्वक वर्णन करें।

प्रश्नः 7. खसरा गिरदावरी के उद्देश्य व सामयिकता पर प्रकाश डालें. विशेष फसलों व बगीचे की गिरदावरी किस प्रकार की जाती है ?

....